न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 30/2022

1. विनोद कुमार पुत्र विजय सिंह जाति जाट साकिन खारा चक काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सुनील कुमार पुत्र विजय सिंह जाति जाट साकिन खारा चक काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र मदनलाल जाति जाट साकिन खारा चक काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सुनीता पुत्री विजय सिंह जाति जाट साकिन खारा चक काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. शर्मिला पुत्री विजय सिंह जाति जाट साकिन खारा चक काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता ——**वादीगण**
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता —**प्रतिवादी सं. 1 ता 3**
3. राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा —**प्रतिवादी सं. 4**

–:: **निर्णय** ::–

दिनांक :– 1/4/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वाद के पक्षकारो का रजिस्टर्ड पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है ।

वादीगण हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है जो परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है ।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 27 जेआरके के खाता सं. 50 के प.नं. 15/249, 16/248 की कुल 4.023 हैक. मे से 1033/1341 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् [illegible] दर्ज राजस्व अभिलेख है।

वाद पत्र की दफा 3 मे प्रतिवादी सं. 1 के [illegible] भूमि पूर्व मे वादीगण के पडदादा श्री नत्थूराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड, तत्पश्चात [illegible] कृषि भूमि वादीगण के [illegible] श्री मदनलाल को प्राप्त हुई और दादा श्री मदनलाल के जीवनकाल मे ही पैतृक कृषि भूमि [illegible] प्रतिवादी सं. 1 ने अपने नाम से जरिये न्यायालय डिक्री के इन्द्राज करवा ली। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:52:41 IST
Reason: SelfAttested

01/04/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

के नाम वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है ।

वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा हुआ है और घरू बंटवारा के समय ही प्रतिवादी सं. 3–4 ने अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण के हक मे त्याग कर दिया तत्पश्चात वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के नाम वाद पत्र की दफा 3 मे कृषि भूमि मे से 2/3 हिस्सा कृषि भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई और कब्जा उक्त कृषि भूमि का घरू बंटवारा के समय से चला आ रहा है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 3 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से 2/3 हिस्सा की ब.हि.ब. घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे

वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे प्रश्नगत पैतृक कृषि भूमि मे वादीगण का हक व हिस्सा मानते हुए घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवा देवे तो कुछ दिन तो प्रतिवादी सं. 1 टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ मना कर दिया बस यही वाद कारण है ।

प्रतिवादी सं. 4 भू. धारक है इसलिए उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है ।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :–

घोषित किया जावे कि चक नं. 27 जेआरके के खाता सं. 50 के प.नं. 15/249, 16/248 की कुल 4.023 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1033/1341 हिस्सा मे से वादीगण 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है

खर्चा मुकदमा दिलाया जावे ।

अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष [illegible]

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 592 आर.ए. [illegible] धारा 40–53, 38–39–40, आर. आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज [illegible] 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर. डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर [illegible] 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:52:41 IST
Reason: Self Attested

01/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित भूमि चक नं. 27 जेआरके के खाता सं. 50 के प.नं. 15/249, 16/248 की कुल 4.023 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1033/1341 हिस्सा मे से वादीगण को 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि कोई वाद विवाद एवं स्थगन एवं रहन न हो तो अमल दरामद करे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

01/02/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:52:41 IST
Reason: SelfAttested